नकली पेश हुई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री खाता विभाजन इबारती पेश होने पर जारी हो। पत्रा० फैसला सुनाए होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनिल खदरिया पुत्र शिवभगवान खदरिया जाति अग्रवाल निवासी 257 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———वादी

बनाम

1. करतार कौर पत्नि लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चानणसिंह पुत्र लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अजायबसिंह पुत्र लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलजिन्द्र कौर पुत्री लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. एसबीबीजे एडीबी हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. देना बैंक हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

———**प्रतिवादीगण**

वाद संख्या :– 442 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री महावीर गोदारा अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार स्टेट — प्रतिवादी सं. 7

निर्णय दिनांक :– 25.1.19

संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 17 केएसपी के खाता सं. 80/79 मे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम कुल 5.718 है0 नहरी मय गैरमुमकिन भूमि संयुक्त खाता मे अलग अलग हिस्सानुसार दर्ज है जिसमे वादी का 0.220 है0 मय गै0मु0 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 वादपत्र मे वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड मे खाता संयुक्त है व वादी व प्रतिवादीगण ने घरू तौर पर विभाजन कर रखा है एवं इसी घरू विभाजन के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है और आज मौका पर भी मुताबिक घरूबंटवारा कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि संयुक्त दर्ज होने के कारण बट सींव आदि को लेकर सहखातेदारो मे अक्सर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक घराघरू बंटवारा खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी है। वादी को घरूबंटवारा मे चक 17 केएसपी खाता सं. 80/79 प.न. 130/316 मु.न. 16 कि.न. 11 मे 0.220 है0 मय गै0मु0 भूमि प्राप्त हुई है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर चक 17 केएसपी खाता सं. 80/79 प.न. 130/316 मु.न. 16 कि.न. 11 मे 0.220 है0 मय गै0मु0 भूमि का खाता वादी के नाम अलग कर उसी अनुसार रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 व वादीगण की ओर से स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन मे तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 17 केएसपी के खाता सं. 80/79 सम्वत 2073–76 मृत्यु प्रमाण पत्र लीलूसिंह आदि प्रस्तुत किये गये।

वाद–पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि प्रकरण मे पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। दावा मे वर्णित भूमि सांझा खाता मे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा प्रकरण मे घरूबंटवारा अनुसार खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया है जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनो मे अपनी सहमति प्रकट करते हुए मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(5)

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा मे वर्णित भूमि सांझा खाता मे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा प्रकरण मे घरूबंटवारा अनुसार खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया है जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनो मे अपनी सहमति प्रकट करते हुए मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण को घरूबंटवारा के अनुसार मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है, जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि चक 17 केएसपी के खाता सं. 80/79 प.न. 130/316 मु.न. 16 कि.न. 11 मे 0.220 है0 मय गैरमुमकिन भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही खाता अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी बाबत खाता तकसीम पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज आज दिनांक 25.1.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(8)
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनिल खदरिया पुत्र शिवभगवान खदरिया जाति अग्रवाल निवासी 257 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

----वादी

बनाम

1. करतार कौर पत्नि लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चानणसिंह पुत्र लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अजायबसिंह पुत्र लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलजिन्द्र कौर पुत्री लीलूसिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. एसबीबीजे एडीबी हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. देना बैंक हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

----**प्रतिवादीगणवाद**

संख्या 442 सन् 2018 निर्णय दिनांक 25.1.19

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 श्री महावीर गोदारा की उपस्थिति मे निर्णय के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर वादी का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि चक 17 केएसपी के खाता सं. 80/79 प.न. 130/316 मु.न. 16 कि.न. 11 मे 0.220 है0 मय गैरमुमकिन भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही खाता अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे।

आज दिनांक 29.1.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner